ई–मेल / बेबसाइट / अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध / तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 957 / 34व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 18 दिनांकः– 04 / 05 / 2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / वर्ल्ड बैंक,
पी0एम0जी0एस0वाई0, लो0नि0वि0,
पौडी / अल्मोड़ा / देहरादून / टिहरी / पिथौरागढ़ / हल्द्वानी।

विषय– रिक्तियों के सापेक्ष पात्र कार्मिकों के सुगम से दुर्गम / दुर्गम से सुगम एवं अनुरोध के आधार पर आवेदन करने वाले कार्मिको के विवरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– इस कार्यालय का ज्ञाप संख्या–865 / 34व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2018 दिनांक–23.04.2018 एवं पत्र संख्या–884 / 34व्यक–स्थानान्तरण– सा0 / 2018 दिनांक–28.04.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसके द्वारा अवगत कराया गया था कि स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या–01 वर्ष 2018) के अनुसार कुल पात्र कार्यरत समूह–क / ख / ग / घ के अधिकारियों / कर्मचारियों के अनुरोध पत्र / आपत्तियां / विकल्प, कतिपय खण्डीय / वृत्तीय कार्यालयों एवं कार्मिको द्वारा सीधे इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जबकि उक्त विवरण पूर्व प्रेषित प्रारूप पर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भित पत्र के अनुरूप अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पात्र अधिकारी / कर्मचारियों का विवरण संकलित करते हुए अपने कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर इस कार्यालय में हॉर्ड / सॉफ्ट कापी में दिनांक–07.05.2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रारूप की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। बिना मुख्य अभियन्ता के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों / अनुरोध पत्रों / विकल्प पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

संलग्नः–यथोपरि (प्रारूप)

4.5.18

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
04.05.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, महोदय के संज्ञानार्थ हेतु।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग ।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
4. वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर–प्रथम / द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून। संलग्न प्रारूप।
5. **अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि पत्र / प्रारूप को लोक निर्माण विभाग के समस्त कार्यालयों को ई–मेल / विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।** संलग्न प्रारूप।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–प्रथम / द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. प्रशासनिक / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन–क / ख / ग / घ एवं कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

Dealing I.T. Cell 4.5.18

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम/दुर्गम से सुगम एवं अनुरोध के आधार पर आवेदन करने वाले कार्मिकों का विवरण तथा एक्ट के अन्तर्गत छूट हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की सूचना प्रेषण करने का प्रारूप

क0सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	तहसील का नाम, जिसमें वर्तमान कार्यालय स्थित है।	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण में एक्ट की धारा 7 (घ) के अधीन अनुमन्य छूट प्राप्त करने है।	एक्ट की धारा 17 ख के अनुसार अनुरोध का आधार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोटः– कॉलम सं0–07 व 08 में दर्शाये गये आधार के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

4.5.18

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)